अध्याय–III

लेन देनों की लेखा परीक्षा

3.1 रायल्टी का अनियमित भुगतान

शासकीय[1] आदेशों की उपेक्षा के कारण ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के निर्माण में मिट्टी के उपभोग पर रायल्टी के माध्यम से ₹ 4.36 लाख का अनियमित भुगतान।

अनुदान की धनराशि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बारहवें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रामीण सम्पर्क मार्गो के निर्माण में उपयोग की गई मिट्टी पर रायल्टी के भुगतान पर शासनादेश[17] द्वारा रोक लगा दी गयी थी।

जिला पंचायत, श्रावस्ती के अभिलेखों (नवम्बर 2009) की नमूना जाँच में यह पाया गया कि सरकार ने बारहवां वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत क्रमशः 49 एवं 18 ग्रामीण सम्पर्क मार्ग वर्ष 2007–08 में स्वीकृत किया गया था। जिसकी कुल प्राक्कलन लागत ₹ 2.30 करोड़ थी। प्राक्कलन मे ₹ 4.36 लाख की रायल्टी के भुगतान का प्रावधान इन सम्पर्क मार्गो के निर्माण में मिटटी के उपयोग हेतु किया गया था। रायल्टी सम्मिलित करते हुए प्राक्कलन स्वीकृत करना अनियमित था, क्योंकि उक्तशासनादेश ने इसे प्रतिबन्धित किया था। सड़कों का निर्माण सम्बन्धित वर्षो के स्वीकृति आदेशों के तहत, उन्हीं वर्षो में पूर्ण कराया गया, जिस पर ₹ 4.36 लाख का रायल्टी के मद में अनियमित भुगतान हुआ।

अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, श्रावस्ती ने अपने उत्तर में बताया (नवम्बर 2009) कि जिला अधिकारी के आदेशानुसार रायल्टी का भुगतान किया गया। यह उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि सड़क निर्माण में सरकारी आदेशों कापालन नहीं किया गया, फलस्वरुप ₹ 4.36 लाख का अनियमित भुगतान हुआ जिसे अन्य विकास कार्यो में उपयोग किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शासकीय आदेशों का अतिक्रमण करने के लिए सक्षम नही थे। जिला स्तर पर शासकीय आदेशों का समय समय पर समुचित संप्रेषण और इनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

इस प्रकरण को शासन के संज्ञान में (मार्च 2011) लाया गया था। जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2011)।

[17] संख्या 1100/33–प्रकोष्ठ/2006–113/05 दिनांक 17 जनवरी, 2006

3.2 अधोमानक कार्यो पर निष्फल व्यय

सड़क निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों की उपेक्षा के कारण अद्योमानक कार्य पर ₹ 7.01 लाख का निष्फल व्यय

जिला पंचायत,लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों/मानक के अनुसार सड़क निर्माण कराता है। विशिष्टियों[18] के अनुसार वाटर बाउन्ड मेकेडम के ऊपर एक विटुमिनस सतह की प्रथम कोटिंग करने के पश्चात प्रीमिक्स कार्पेटिंग (प्री.सी.) और सील कोट कराना चाहिए।

जिला पंचायत, ज्योतिबाफूलेनगर के अभिलेखों की जॉच में (जुलाई 2010) यह ज्ञात हुआ कि करमालीपुर से बसेरवा पेंटेड सड़क का निर्माण (1.92 कि.मी. लम्बी 3 मीटर चौड़ी) वर्ष 2009–10 में ₹ 30.03 लाख की लागत में स्वीकृत थी। सड़क पर किया गया व्यय बारहवॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से किया जाना था।यद्यपि इस प्राक्कलन में वाटर बाउन्ड मेकेडम के ऊपर सील कोट और प्रीमिक्स कार्पेटिंग के पूर्व प्राइम कोट के लिए कोई प्रावधान नही था जो निर्धारित विशिष्टियों के विपरीत था।

कार्य का निष्पादन वर्ष 2009–10 में किया गया और पी.सी. और सील कोट पर ₹ 7.01 लाख व्यय किया गया। इस प्रकार विशिष्टियों के विपरीत पेन्टेड सड़क का निर्माण कराने से कार्य अद्योमानक हुआ एंव लम्बे समय तक सड़क का बने रहना संदिग्ध था। अतः पी0सी0 और सील कोट पर किया गया ₹ 7.01 लाख का व्यय निष्फल हुआ। लेखा परीक्षा द्वारा इस विषय पर इंगित किये जाने पर, अपर मुख्य अधिकारी ने बताया कि प्राइम कोट किया गया जबकि प्राक्कलन में इसका प्राविधान नहीं था और ठेकेदार को इन पर कोई भुगतान नहीं किया गया।

उत्तर संतोषजनक नहीं हैं क्योंकि प्राइमकोट के साथ कार्य का निष्पादन बिना प्राक्कलन में प्रावधान और ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जाना, सिर्फ काल्पनिक है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों का सड़कों के निर्माण पर अनुपालन जिला पंचायत द्वारा सुनिश्चित करना चाहिए और कार्यदायी संस्था द्वारा अभिलेखों का रखरखाव करना चाहिए।

प्रकरण शासन को (नवम्बर 2010) में सन्दर्भित किया गया था। उत्तर प्रतिक्षित था (मई 2011)।

[18] लोक निर्माण विभाग प्रपत्र सं 3583 दिनांक 13/06/2007

3.3 परिहार्य व्यय

ग्रामीण सम्पर्क मार्गो के निर्माण पर निर्धारित विशिष्टियों का पालन न किए जाने के कारण ₹ 17.26 लाख का परिहार्य व्यय।

लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पर्क मार्गो के निर्माण के लिए निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार टैक कोट/प्राइम कोट आन वाटर वाउन्ड मैकेडम/टापकोट के पश्चात निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक तरीके को अपनाया जा सकता है।

सतह लेपन { पेंटिंग I (P1) & पेन्टिंग 2 (P2)}

प्रीमिक्स कारपेट, विद सीलकोट (पी.सी. एवं एस.सी.)

जिला पंचायत कुशीनगर और मिर्जापुर के अभिलेखों के परीक्षण करने पर यह पाया गया कि (जुलाई 2009 एवं जनवरी 2010 के मध्यं) जिला पंचायत कुशीनगर में तीन ग्रामीण सम्पर्क मार्गो और जिला पंचायत मिर्जापुर में छः ग्रामीण सम्पर्क मार्गो के निर्माण के लिए सम्पूर्ण आंकलित लागत क्रमशः ₹121.00 लाख एवं ₹ 51.00 लाख बारहवॉ वित्त आयोग से वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। जबकिसमस्त कार्य लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों का उल्लघंन करते हुए मार्च 2008 एवं मार्च 2010 के दौरान ग्रामीण सम्पर्क मार्गो पर क्रमशः ₹ 7.87 लाख एवं ₹ 9.39 लाख अतिरिक्त/अधिक व्यय किया गया। उत्तर में अपर मुख्य अधिकारी कुशीनगर ने अवगत कराया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी परिपत्र से अनभिज्ञ थे, जबकि अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत मिर्जापुर ने यह अवगत कराया कि सड़क का निर्माण स्थलीय आवश्यकतानुसार किया गया। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि वास्तविक स्थिति यह कि निर्धारित विशिष्टियों के मानकों का पालन न करने से परिहार्य व्यय ₹17.26 लाख मार्च 2008 से मार्च 2010 के दौरान किया गया।

ग्रामीण सम्पर्क मार्गो के निर्माण मे लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों को जिला पंचायत द्वारा अनुश्रवण एवं अनुपालन करना चाहिए।

इनप्रकरणों को शासन को (जनवरी से दिसम्बर 2010) सन्दर्भित किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2011)।

3.4 राजस्व की हानि

आहरण/वितरण अधिकारी द्वारा बिना आयकर कीकटौती किये ठेकेदारों को भुगतान करने से ₹ 1.20 लाख की राजस्व की हानि

आयकर नियमों के अन्तर्गत आहरण–वितरण अधिकारी को ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताको भुगतान करते समयउनके देंयकों से 2.24% (0.24% प्रभार सम्मिलिति करते हुये) की दर से आयकर की कटौती करनी चाहिए। इस कटौती के न करने पर, उस व्यक्ति को आयकर राशि के बराबर राशि दण्ड स्वरूप भुगतान करना है। क्षेत्र पंचायत, बधौली और खलिलाबाद

राशि के बराबर राशि दण्ड स्वरूप भुगतान करना है। क्षेत्र पंचायत, बधौली और खलिलाबाद एवं सन्था, जिला सन्त कबीर नगर के अभिलेखों के जांच करने पर (जनवरी–फरवरी 2010) पाया गया कि ठेकेदारों को ₹ 53.70 लाख,[19] आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामग्रियों के आपुर्ति हेतु भुगतान किया गया, परन्तु ठेकेदार के देयको से आयकर की कटौती @ 2.24% की दर से ₹ 1.20 लाख भुगतानित धनराशि से काटा नहीं गया था, फलस्वरूप इतने राजस्व की हानि हुई। उत्तर में उन क्षेत्र पंचायतों के खण्ड विकास अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में आयकर की कटौती की जायेगी। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा आयकर की कटौती न किया जाना नियमों का उल्लघंन था। इस प्रकार ठेकेदार से देयक के भुगतान के समय, स्रोत पर आयकर कटौती न किये जाने से ₹ 1.20 लाख के राजस्व की हानि हुई **(परिशिष्ट 3.1)** इसके अतिरिक्त उपर्युक्त धनराशि के बराबर अर्थदण्ड, अभी तक आहरण–वितरण अधिकारियों के ऊपर संगत नियमों के तहत नहीं लगाया गया था।

आहरण वितरण अधिकारी को भुगतान पूर्व आयकर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2010)। उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2011)।

इलाहाबाद
दिनांक

यू.पी. सिंह सिसोदिया
उपमहालेखाकार
स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

इलाहाबाद
दिनांक

मुकेश पी. सिंह
प्रधान महालेखाकार
(सिविल आडिट) उत्तर प्रदेश

[19]क्षेत्र पंचायत बघौली ₹ 5.14 लाख, क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद ₹ 16.76 लाख, क्षेत्र पंचायत सान्था ₹ 31.80 लाख।